



सेना उड़नयोज्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
 DEFENCE R&D ORGANISATION
 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
 GOVERNMENT OF INDIA
 MINISTRY OF DEFENCE
 मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
 MARATHAHALLI COLONY P.O.,
 BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1793 / Type Approval No. 1793

मद/FOR ITEM: माउंटिंग ट्रे (एन149260) सहित वीओआर/आइएलएस रिसीवर, एएनएस 2820ए (एन149241)/VOR/ILS Receiver, ANS 2820A (N149241) along with Mounting Tray (N149260)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एसएलआरडीसी-एवियोनिक्स प्रभाग, बालानगर, हैदराबाद-500042, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित माउंटिंग ट्रे एन149260 सहित "आइएलएस रिसीवर, एएनएस 2820ए", पार्ट सं. एन149241, को मास्टर आरेखन इंडेक्स दस्तावेज़ सं. 149241 डीएल, इश्यू सं.3, दिनांक 16 मार्च 2013, माउंटिंग ट्रे आरेखन दस्तावेज़ सं. 149260 डीएल, इश्यू सं.3, दिनांक 16 मार्च 2013 के अनुसार मिग-21 यूपीजी (बीआइएसओएन) वायुयान प्लैटफॉर्म में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर सी एम ए (हैदराबाद) के समन्वय से तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज़ सं. एसएलआरडीसी (सीओएम)/एएनएस 2820ए/टीएस, इश्यू सं. 003, दिनांक 12 मई 2011 और क्यूटीपी रिपोर्ट सं. एसएलआरडीसी (सीओएम)/बीआइएसओएन/एएनएस 2820ए/क्यूटी, इश्यू सं. 001, दिनांक 10 नवंबर 2009 और वीडीडि दस्तावेज़ सं. एसएलआरडीसी (एच ए एल)/वीओआर-आइएलएस/बीआइएसओएन/वीीडीडि, इश्यू सं. 02, वर्जन सं. 1.0, दिनांक 25 मार्च 2011 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट" में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "VOR/ILS Receiver unit, ANS 2820A" bearing the Part No. N149241 along with "Mounting Tray" Part No. N149260 Designed, Developed and Manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, SLRDC, Avionics Division, Balanagar, Hyderabad - 500 042 is hereby approved for production as per Master Drawing Index Doc. No. 149241DL, Issue No. 3, Dt: 16th Mar 2013, Mounting Tray Drawing Doc. No. 149260DL, Issue No. 3, Dt: 16th Mar 2013 for use on MIG-21 UPG (BISON) Aircraft Platform. The Product has been tested in co-ordination with RCMA (Hyd) as per Technical specification Doc. No: SLRDC (COM)/ANS 2820A/TS, Issue No. 003, Dt: 12th May 2011 and QTP Report No. SLRDC (COM)/BISON/ANS 2820A/QT, Issue No. 001, Dt: 10th Nov 2009 and VDD Doc No. SLRDC (HAL)/VOR-ILS/BISON/VDD, Issue No. 02, Version:1.0, Dt: 25th Mar 2011. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2018 तक वैध है बशर्ते कि उसे स्थगित, निरस्त या रद्द किया जाए तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजों के साथ आर सी एम ए (हैदराबाद), द्वारा एच ए एल, बालानगर, हैदराबाद-500042, से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2018 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyd), C/o HAL, Balanagar, Hyderabad - 500 042, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलेक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।


This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए'/Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलेक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1793

दिनांक/Date : 15 Oct 2013

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856


(डॉ.के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)
महा निदेशक (एरो)/ Director General (Aero)
मुख्य कार्यालय (उडनयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)



